न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेशकुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 78/2020

उनवान

रामपाल बनाम राजी

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी

–: आदेश :–

दिनांक :– 25.5.22

अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 17.3.21 को वादी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में बहस में व्यस्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके जिस कारण वादी का वाद अदम पैरव अदम हाजरी में खरिज किया गया। उपरोक्त वाद में वादी की अनुपस्थिति सद्भाविक थी। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण को गुणवगुण पर निर्णित करने के लिये पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। साथ ही वादी ने प्रार्थिना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि कोरोना काल में लगे लाकॅडाउन के कारण वादी को वद खारिज होने की जानकारी नही हो पायी अतः विलम्ब के लिये क्षमा किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी अधिवक्ता को नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होना चाहिये था यदि अधिवक्ता उपस्थित होने में असमर्थ थे तो उनकी ओर से प्रतिनिधित्व पत्र जरियें अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। वाद रेस्टोर करने के जो कारण बतायें गये है वह विधि के प्रतिकूल है। उपरोक्त आवेदन में अप्रार्थी संख्या 1 राजी का स्वर्गवास वाद पेश करने से 50 वर्षो पूर्व ही हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 4 का स्वर्गवास भी वाद पेश करने से पूर्व हो चुका है। इस बाबत अलग से प्रार्थना पत्र दिनांक 9.1.2 को वाद पत्र में पेश किया गया था। इसके उपरान्ता भी यह आवेदन पत्र मृत व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादी/अप्रार्थी ने आर.एल. डब्ल्यू 2007 पेज 100 से 102 पेश की।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। मूल वाद दिनांक 17.3.21 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। दिनांक 22.7.21 को वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु बाबत सूचना न्यायालय में पेश की थी। प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु की सूचना भी तामीली में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व ही हो गयी थी। [illegible] उक्त वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया तथा मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद [illegible] प्रार्थना पत्र भी मृत व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया है। जबकि रेस्टोर प्रार्थना पत्र पेश करने [illegible] ही मृत व्यक्तियों के [illegible] रेकार्ड पर लेने चाहिये थे। वादी अधिवक्ता [illegible] दिनांक 17.3.21 को [illegible] न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहा हो सके किन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थित रहने का दर्शाया उक्त कारण सद्भाविक नही है। वादी अधिवक्ता उक्त दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय में उपस्थित नही हो सके तो उनका प्रतिनिधि अथवा वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र भी अत्यंत विलम्ब से पेश किया है। वादी अधिवक्ता का कथन है कि कोरोना काल में लाकॅडाउन लगने के कारण प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सका। किन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 4 माह विलम्ब से पेश किया है। कोरोना काल में 4 माह तक लाकॅडाउन नही था। ऐसी स्थिति में वाद व प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों विरूद्व पेश करने विलम्ब व अनुपस्थिति का सद्भाविक कारण नही बतायें जाने के कारण वाद पुनः रेस्टोर किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वंय वहन करे।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested